



भारत
औषधि योजना

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



क्रमांक:- एफ 5() एफ.सी.ए./मुवसंज/2022-23/

दिनांक:-

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला एवं वनमण्डल झुंझुनूं में Diversion of 1.7066 ha. of forest land in favour of Power Grid BIKANER II BHIWADI TRANSCO LTD for "Construction of Bikaner-II-SEZ PP-Khetri 400KV M/C 2XD/C Transmission Line (Twin HTLS on M/C Tower) Part-II, Total Line length: 136.610 Kms. District- Churu-Sikar & Jhunjhunu, (FP/RJ/Trans/ 143287/2021) के निर्माण हेतु 1.7066 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज. 008/2023-JPR दिनांक 22.03.2023 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 तथा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक F.No. 1(5) Forest/2010 Jaipur, Dated : 07.01.2022 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-Principal /stage-1 approval) की समस्त शर्तों के अध्याधीन प्रस्तावित क्षेत्र में न्यूनतम संभव वृक्षों के पातन (अधिकतम 153 वृक्षों) एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. यह स्वीकृति जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

(मनफूल सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

क्रमांक:- एफ 5() एफ.सी.ए./मुवसंज/2022-23/ 2247-55

दिनांक:- 17/4/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़ नई दिल्ली- 110001

Signature valid

Digitally signed by Manphool Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.04.17 17:34:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3653276

2. उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, ए-218 एवं बी-216 अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
3. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/5649-51 दिनांक 17.04.2023 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित की गई है।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (आई.टी.) अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए अरण्य भवन राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
7. उप वन संरक्षक, झुंझुनू को दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करावे।
8. उप महाप्रबन्धक (PESM) पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जोधपुर, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य वन संरक्षक

जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Manphool Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.04.17 17:34:48 IST
Reason: Approved